रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05112026-277708
CG-DL-E-05112026-277708

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 658] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2026/कार्तिक 13, 1948
No.658] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2026/KARTIKA 13, 1948

भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2026

फा. सं. बीएस/XI/09/02/2026-27.— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय मानक ब्यूरो (प्रयोगशाला के तकनीशियन पदों पर भर्ती) विनियम, 2019, को अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय मानक ब्यूरो, उपभोक्ता मामले मंत्रालय में प्रयोगशाला तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए, ब्यूरो, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (प्रयोगशाला तकनीशियन पदों पर भर्ती) विनियम, 2026 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं – (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''अधिनियम'' से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) अभिप्रेत है;

(ख) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से उप महानिदेशक (प्रशासन) अभिप्रेत है;

(ग) ''कर्मचारी'' से भारतीय मानक ब्यूरो में नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारी और जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती भारतीय मानक संस्थान के कर्मचारी भी हैं, अभ्रिप्रेत है;

(घ) ''प्रयोगशाला तकनीकी पदों'' से प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट पद अभिप्रेत हैं;

(ङ) ''स्थानापन्न नियुक्ति'' से ऐसे अधिकारी की नियुक्ति अभिप्रेत है जो कि एक समय में एक या उससे अधिक अन्य स्वतंत्र पदों पर अस्थायी उपाय के रूप में स्थायी या स्थानापन्न की हैसियत से पहले से पदधारक हो;

(च) "सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना" से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की वह पहल अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारतीय नौसेना और कर्मचारी चयन आयोग आदि जैसी केंद्रीय सरकार की भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में अननुशंसित, किंतु इच्छुक अभ्यर्थियों (अर्थात् वे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, लेकिन साक्षात्कार के बाद उनकी अनुशंसा नहीं की जाती) के अंक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं।

(छ) ''नियम'' से भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 अभ्रिप्रेत है;

(ज) ''अनुसूची'' से इन विनियमो के साथ संलग्नित अनुसूची अभ्रिप्रेत है;

(झ) ''चयन समिति'' से विनियम 8 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जो उसमें परिभाषित नहीं है परंतु अधिनियम या नियमों में परिभाषित हैं, के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो यथास्थिति अधिनियम या नियमों में दिए गए हैं।

3. **भर्ती की पद्धति** – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, वेतन मैट्रिक्स में स्तर, आयु-सीमा, योग्यता और उससे संबंधित अन्य विषय वही होंगे जो प्रथम अनुसूची के स्तंभ (4) से स्तंभ (10) में निर्दिष्ट हैं।

4. **सीधे भर्ती किए जाने की प्रक्रिया** – (1) प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट कोई पद जहां सीधे भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित हो, वहां निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात :-

क. भर्ती की पद्धतियों के लिए प्राथमिकता का क्रम। — पदों पर भर्ती निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम के अनुसार की जाएगी—

I. **प्रथम प्राथमिकता — सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना।**—पदों को भरने के लिए सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के माध्यम से भर्ती को पहली प्राथमिकता दी जाएगी;

II. **द्वितीय प्राथमिकता — अन्य पद्धतियाँ (प्रतियोगी परीक्षा या विभागीय भर्ती)।**—खंड (ग) के अधीन विहित खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती को दूसरी प्राथमिकता तभी दी जाएगी जब सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना लागू न हो या उपलब्ध न हो:

परंतु, यदि सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के माध्यम से रिक्त पद नहीं भरे जा सकें, तो उन्हें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट अन्य पद्धतियों (प्रतियोगी परीक्षा या विभागीय भर्ती) के माध्यम से भरा जा सकेगा:—

क. तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला), वरिष्ठ तकनीशियन या तकनीशियन के पद पर उत्पन्न किसी भी रिक्ति का विज्ञापन रोजगार समाचार, कम से कम दो अग्रणी समाचार-पत्रों में तथा ब्यूरो और ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक विभाग की वेबसाइट पर विज्ञापित किया जाएगा। जिसमें ऐसे पदों की संख्या, आयु-सीमा, अर्हताओं और अनुभव से संबंधित पूर्ण जानकारी, जैसा कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है तथा अन्य आवश्यक विवरण दिए जाएंगे और इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और

केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिए पदों के आरक्षण का विवरण भी शामिल होगा।

ख. प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अर्हताएँ, अनुभव और आयु-सीमा रखने वाले अभ्यर्थी संबंधित पद के लिए पात्र होंगे।

परंतु, ब्यूरो में सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियों की दशा में उपरी आयु-सीमा पचास वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।

ग. ब्यूरो द्वारा लिखित या ऑनलाइन परीक्षा विभागीय स्तर पर या किसी व्यावसायिक संस्थान या एजेंसी के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जैसा कि महानिदेशक का अनुमोदन हो।

घ. कौशल परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा या ट्रेड परीक्षा, जो कि अर्हता प्रकृति की होगी, के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या संबद्ध शाखा या ट्रेड के लिए विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के छह गुना से अधिक नहीं होगी और योग्यता के क्रम में उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिन अभ्यर्थियों ने संबंधित शाखा या ट्रेड के लिए लिखित या ऑनलाइन परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा कुल मिलाकर भी न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों। ये परीक्षाएँ केवल अर्हकारी प्रकृति की होंगी।

ख. सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के माध्यम से चयन —सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की दशा में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी—

क. अभ्यर्थियों का चयन विषयवार या ट्रेडवार, सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के अधीन आयोजित नवीनतम परीक्षा में प्राप्त अंतिम अंकों के आधार पर किया जाएगा, बशर्ते वे ब्यूरो द्वारा आयोजित कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करें;

ख. जिस सार्वजनिक प्रकटीकरण योजना के अधीन आयोजित परीक्षा के माध्यम से भर्ती की जानी है, उसका अनुमोदन महानिदेशक द्वारा होगा।

परंतु, ब्यूरो द्वारा चयन बिना किसी साक्षात्कार के होगा।

ग. जहाँ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों या अन्य विशेष वर्गों के लिए आरक्षित पदों को इसके विनिर्दिष्ट मानदंड के आधार पर न भरा जा सकता हो, वहाँ आरक्षित कोटे की कमी को पूरा करने के लिए ऐसे वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार छूट प्रदान करके ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा, बशर्ते वे संबंधित पद पर चयन के लिए उपयुक्त हों।

(2) सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची के अतिरिक्त एक आरक्षित सूची भी रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जाएगी, जो सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक वैध रहेगी।

परंतु, आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(3) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों की परिवीक्षा अवधि भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार दो वर्ष की होगी। जिसके दौरान उनसे आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जा सकेगी या उन्हें ऐसे दायित्व सौंपे जा सकते हैं जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी आवश्यक समझे या परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए उनसे विभागीय परीक्षा या परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी:

परंतु, परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए प्रशिक्षण का प्रारूप, सौंपे जाने वाले दायित्व तथा उत्तीर्ण की जाने वाली विभागीय परीक्षा वही होगी जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित और महानिदेशक द्वारा अनुमोदित हो।

5. **प्रोन्नति** – (1) प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किसी पद को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए ऐसी प्रोन्नति महानिदेशक द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नतर श्रेणी के कर्मचारियों में से योग्यता के आधार पर या वरिष्ठता को ध्यान में रख कर की जाएगी।

(2) नियमित कर्मचारी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को दी जाने वाली सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम के अधीन वित्तीय अपग्रेडेशन के पात्र होंगे।

(3) प्रयोगशाला अधिकारियों को प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अप्रकार्यात्मक ग्रेड 1 और ग्रेड 2 प्रदान किया जाएगा।

6. **प्रतिनियुक्ति** – (1) प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किसी पद को प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने के लिए इसे कम से कम दो अग्रणी समाचार-पत्रों में तथा ब्यूरो और ब्यूरो पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले प्रशासनिक विभाग की वेबसाइट पर विज्ञापित किया जाएगा जिसमें प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या, अर्हताएं, अनुभव, आयु-सीमा, विशेषज्ञता, यदि आवश्यक हो, तथा आवश्यक अन्य ऐसे विषय:

परन्तु यह कि, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी:

ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी और प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) विनियम 7 के अधीन गठित छानबीन समिति द्वारा विहित अपेक्षाओं को पूरा करने वाले तथा छांटे गए अभ्यर्थियों के नाम चयन हेतु अनुशंसित किए जाएँगे।

7. **प्रतिनियुक्ति या सीधे भर्ती द्वारा चयन हेतु छानबीन समिति**– (1) छानबीन समिति में ब्यूरो के तीन ऐसे अधिकारी होंगे, जो वैज्ञानिक 'ग' के पद से नीचे की पंक्ति के न हों और जिन्हें महानिदेशक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और उनमें से वरिष्ठतम अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा ।

(2) छानबीन समिति द्वारा छांटे गए अभ्यर्थियों पर चयन के लिए चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

8. **चयन समिति** - (1) महानिदेशक द्वारा निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जाएगा:

(i) चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) वैज्ञानिक 'च' के पद से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी या उपमहानिदेशक, जो समिति का अध्यक्ष होगा,

(ख) ब्यूरो में कार्मिक प्रकार्यों से संबंधित विभाग का निदेशक या प्रमुख या प्रभारी अधिकारी;

(ग) वैज्ञानिक 'ग' के पद से अनिम्न पंक्ति के दो अधिकारी या उपनिदेशक, इनमें से कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होगा; और

(घ) ब्यूरो में कार्मिक प्रकार्यों से संबंधित उपनिदेशक या सहायक निदेशक;

(2) उप-विनियम (1) में संदर्भित चयन समिति द्वारा की गई अनुशंसाएँ अनुमोदन हेतु महानिदेशक को प्रस्तुत की जाएंगी।

9. **नियुक्ति प्राधिकारी:-** (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां चयन समिति की अनुशंसा पर की जाएगी:

परन्तु यह कि स्थानापन्न नियुक्तियाँ भारतीय मानक ब्यूरो (महानिदेशक की शक्तियाँ और कर्त्तव्य) विनियम, 2018 की संलग्न अनुसूची में ऐसी नियुक्तियों के लिए विहित शर्तों के अधीन चयन समिति की अनुशंसा के बिना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

परन्तु फिर भी संबंधित चयन समितियाँ विनियम 5 के उप-विनियम (2) और नॉन फनक्शनल ग्रेड 1 और 2, उप-विनियम (3) में यथा विनिर्दिष्ट में विनिर्दिष्ट संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन की मंजूरी के मामलों पर विचार करने और अनुशंसा के प्रयोजनार्थ छानबीन समिति के रूप में भी कार्य करेगी।

10. **पदों का प्रवर्ग और उनकी स्वीकृत संख्या –** (1) पदों का प्रवर्ग और स्वीकृत संख्या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से कार्यकारिणी समिति द्वारा समय - समय पर अवधारित किए जाने के अनुसार होगी।

(2) इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख को पदों के प्रवर्ग तथा उनकी स्वीकृत संख्या वही होगी जो कि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो और शाखा या ट्रेड वहीं होंगे जैसा कि द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हों।

11. **छूट देने की शक्ति –** जहाँ ब्यूरो की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है, तो वह ऐसे कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करके केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंध में कोई छूट दे सकती है।

12. **व्यावृत्ति –** इन विनियमों में कुछ भी इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणियों के लिए आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

13. **निर्वचन –** इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से ब्यूरो द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

प्रथम अनुसूची

(विनियम 2, विनियम 3, विनियम 4, विनियम 5, विनियम 6, और विनियम 10 देखें)

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन-मेट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	भर्ती की पद्धति	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	प्रयोगशाला अधिकारी	60 (2026)	स्तर-7 (रु.44900 -142400)	चयन।	लागू नही होता।	(i) रसायन विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान या जैव-प्रौद्योगिकी या खाद्य प्रौद्योगिकी	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	लागू नही होता।	प्रोन्नतिः ऐसे तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्तिः (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक अधिकारी; या

						या जैव-रसायन या इलेक्ट्रॉनिकी में से किसी एक को मुख्य विषय के रूप में रखते हुए विज्ञान में स्नातक की उपाधि; या (ii) यांत्रिक या विद्युत या सिविल या रासायनिक या इलेक्ट्रॉनिकी या खाद्य प्रौद्योगिकी या धातुकर्म में तीन वर्ष का डिप्लोमा; और (iii) संबंधित ट्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा।			(ii) वेतन - मेट्रिक्स स्तर-6 (रु 35400-112400) में नियमित 5 वर्ष की सेवा वाले अधिकारी; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती हेतु विहित अर्हता रखने वाले अधिकारी।
टिप्पण 1: इसमें विनिर्दिष्ट किसी भी विद्या शाखा में भरे जाने वाले पदों की संख्या भर्ती के समय संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यपालक समिति द्वारा अवधारित की जाएगी। टिप्पण 2: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 में गैर-कार्यात्मक ग्रेड-1, उस प्रयोगशाला अधिकारी को प्रदान किया जाएगा जिसने संबंधित ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो: परंतु, ऐसे प्रयोगशाला अधिकारी, जिन्हें स्तर-8 में संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना के अधीन पहले ही वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जा चुका है, भी स्तर-8 में पाँच वर्ष की सेवा पूरी करने पर स्तर-9 में गैर-कार्यात्मक ग्रेड-2 प्रदान किए जाने के पात्र होंगे। टिप्पण 3: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 में गैर-कार्यात्मक ग्रेड-2, गैर-कार्यात्मक ग्रेड-1 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले प्रयोगशाला अधिकारी को प्रदान किया जाएगा।									
2.	तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला)	120 (2026)	स्तर 6 (रु. 35400-112400)	लागू नही होता।	30 वर्ष।	(i) रसायन विज्ञान या सूक्ष्मजीव विज्ञान या भौतिकी या जैव-प्रौद्योगिकी या खाद्य प्रौद्योगिकी या जैव-रसायन या इलेक्ट्रॉनिकी में से किसी एक को मुख्य विषय के रूप में रखते हुए विज्ञान में स्नातक की उपाधि; या (ii) यांत्रिक या विद्युत या सिविल या रासायनिक या इलेक्ट्रॉनिकी या खाद्य प्रौद्योगिकी या	(i) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और (ii) 10 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा।	लागू नहीं होता।	सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से: क) वरिष्ठ मास्टर तकनीशियन या ख) मास्टर तकनीशियन जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु.

						धातुकर्म में तीन वर्ष का डिप्लोमा। टिप्पण 1:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हति अभ्यर्थियों की दशा में, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन के किसी भी प्रक्रम पर नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। ऐसा करते समय नियुक्ति प्राधिकारी शिथिल किए जाने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।			29200 – 92300) की ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या मास्टर तकनीशियन और वरिष्ठ तकनीशियन में छह वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा सहित मास्टर तकनीशियन; या ग) ऐसे वरिष्ठ तकनीशियन जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 4 (रु.25500 – 81100) की ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। अनिवार्य: स्तंभ 7 में यथाविहित शैक्षिक अर्हता रखते हों।

टिप्पण 1: इसमें विनिर्दिष्ट किसी भी विद्या शाखा में भरे जाने वाले पदों की संख्या भर्ती के समय संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यपालक समिति द्वारा अवधारित की जाएगी।

टिप्पण 2: तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) के पद पर प्रोन्नति हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया और रूपरेखा (परीक्षा पद्धति, पाठ्यक्रम, अधिकतम अंक, अर्हक अंक आदि) संगठन की आवश्यकता के आधार पर, समय-समय पर नियुक्ति प्राधिकारी की संस्तुति के अनुसार तथा कार्यकारी समिति के अनुमोदन से निर्धारित की जाएगी।

3.	वरिष्ठ मास्टर तकनीशियन	12 (2026)	स्तर-6 (रू.35400-112400)	अचयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।	लागू नहीं होता।	ऐसे मास्टर तकनीशियन जिन्होंने ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो।
4.	मास्टर तकनीशियन	16 (2026)	स्तर -5 रू.(29200 - 92300)	अचयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।	लागू नहीं होता।	ऐसे वरिष्ठ तकनीशियन जिन्होंने ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने ट्रेड

									परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।
5.	वरिष्ठ तकनीशियन	30 (2026)	स्तर-4, रू. (25500 - 81100)	लागू नहीं होता।	18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण हो, (ii) निम्नलिखित में से किसी एक ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र: (क) इलेक्ट्रीशियन; (ख) वातानुकूलन; (ग) प्रशीतन; (घ) मैकेनिक (डीजल इंजन); (ङ) फिटर; (च) बढ़ई; (छ) प्लम्बर; (ज) वायरमैन; (झ) टर्नर; (ञ) वेल्डर (वेल्डर के पास सुसंगत भारतीय मानक या उसके समतुल्य मानक के अनुसार वेल्डर अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र भी होना चाहिए); और (iii) सुसंगत ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र या राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उस ट्रेड में दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन के किसी भी प्रक्रम पर नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	ऐसे तकनीशियन जिन्होंने ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो।

						अर्हताएं रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। ऐसा करते समय नियुक्ति प्राधिकारी शिथिल किए जाने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा। टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हताएं नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार, लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
6.	तकनीशियन	1 (2026)	स्तर-2 (रू.19900 - 63200)	लागू नहीं होता।	18 वर्ष से 27 वर्ष के बीच।	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण हो, (ii) निम्नलिखित में से किसी एक ट्रेड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का प्रमाणपत्र: (क) इलेक्ट्रीशियन; (ख) वातानुकूलन; (ग) प्रशीतन; (घ) मैकेनिक (डीजल इंजन); (ङ) फिटर; (च) बढ़ई; (छ) प्लम्बर; (ज) वायरमैन; (झ) टर्नर; (ञ) वेल्डर (वेल्डर के पास सुसंगत भारतीय मानक या उसके समतुल्य मानक के अनुसार वेल्डर अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र भी होना	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

						चाहिए); और (iii) सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र हो। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं, यदि चयन के किसी भी प्रक्रम पर नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अर्हताएं रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। ऐसा करते समय नियुक्ति प्राधिकारी शिथिल किए जाने के कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा।			
टिप्पण 1: इसमें विनिर्दिष्ट किसी भी ट्रेड में भरे जाने वाले पदों की संख्या, भर्ती के समय संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार महानिदेशक द्वारा अवधारित की जाएगीं।									

दूसरी अनुसूची

(विनियम 2, विनियम 4, विनियम 10 और पहली अनुसूची देखें)

1. इन विनियमों के अधीन तकनीकी सहायक (प्रयोगशाला) के पद के लिए भर्ती के उद्देश्य के लिए विषयों की सूचीः

I. उपाधि आधारित विषयः

(i) रसायन विज्ञान
(ii) भौतिक विज्ञान
(iii) सूक्ष्म-जीव विज्ञान
(iv) जैव प्रौद्योगिकी
(v) खाद्य प्रौद्योगिकी
(vi) जैव रसायन शास्त्र
(vii) इलेक्ट्रानिक्स

II. डिप्लोमा आधारित विषयः

(i) यांत्रिक
(ii) रासायनिक
(iii) विदयुतीय
(iv) सिविल
(v) इलेक्ट्रानिक्स

(vi) खाद्य प्रौद्योगिकी

(vii) धातुकर्म

2. इन विनियमों के अधीन वरिष्ठ तकनीशियन/ तकनीशियन के पद पर भर्ती के उद्देश्य के लिए ट्रेड की सूचीः

(i) इलेक्ट्रीशियन

(ii) वातानुकूलन

(iii) प्रशीतन

(iv) मैकेनिक (डीजल इंजन)

(v) फिटर

(vi) बढ़ई

(vii) प्लम्बर

(viii) वायरमैन

(ix) वेल्डर

(x) टर्नर

अलका, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./430/2026-27]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2026

F. No. BS/XI/09/02/2026-27.— In exercise of the powers conferred by section 39 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Bureau of Indian Standards (Recruitment to Laboratory Technical Posts) Regulations, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Bureau, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Laboratory Technical in the Bureau of Indian Standards, Ministry of Consumer Affairs, namely:—

1. Short Title and Commencement. — (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Recruitment to Laboratory Technical Posts) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires -

(a) "Act" means the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016);

(b) "appointing authority", means the Deputy Director General (Administration);

(c) "employee" means the employee appointed on regular basis in the Bureau of Indian Standards and includes the employee of the erstwhile Indian Standards Institution;

(d) "Laboratory Technical Posts" means the posts specified in column (2) of the First Schedule;

(e) "officiating appointment" means appointing an officer already holding a post in a substantive or officiating capacity to officiate, as a temporary measure, in one or more of other independent posts at a time;

(f) "Public Disclosure Scheme" means the initiative of the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievance and Pensioners, Government of India wherein for making available publicly scores of non-recommended willing candidates (Candidates who qualify the

written examinations but are not recommended after the interview) of the recruitment examinations conducted by the Central Government recruiting agencies viz. Union Public Service Commission, Railway Recruitment Board, Defence Research Development Organisation, Indian Navy and Staff Selection Commission, etc.;

(g) "rules" means the Bureau of Indian Standards Rules, 2018;

(h) "Schedule" means a Schedule appended to these regulations;

(i) "Selection Committee" means the committee constituted under regulation 8;

(2) Words and expressions used in here and not defined, but defined in the Act or the rules, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act or the rules, as the case may be.

3. Method of recruitment. – The method of recruitment, level in Pay Matrix, age-limit, qualifications and other matters connected thereto shall be as specified in columns (4) to (10) of the First Schedule.

4. Procedure for making Direct Recruitment. – (1) Where any post specified in column (2) of the First Schedule is required to be filled by direct recruitment, the following procedure shall be followed, namely: –

A. Order of priority for methods of recruitment. - Recruitment to posts shall be carried out in accordance with the following order of priority: -

(i) **First Priority** - Public Disclosure Scheme. - First preference shall be given to filling posts through the Public Disclosure Scheme;

(ii) **Second Priority** - Other Methods (Competitive examination or departmental recruitment): Second preference to be given to recruitment through open competitive examination as prescribed under clause (c) shall be resorted to only when the Public Disclosure Scheme is inapplicable or unavailable:

Provided that, if vacancies remain unfilled through the Public Disclosure Scheme, the same may be filled through other methods (Competitive examination or departmental recruitment) specified as under: -

(a) any vacancy arising in the post of Technical Assistant (Laboratory), Senior Technician or Technician, shall be advertised in the Employment News, and at least two leading newspapers and also on the website of the Bureau and the administrative department of the Central Government having administrative control of the Bureau giving full information regarding number of posts, age-limit, qualifications and experience, as specified in the First Schedule and such other matter as may be necessary and reservation of posts for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons as specified by the Central Government from time to time.

(b) candidates possessing the qualifications, experience and age-limit as specified in the First Schedule shall be eligible for the post:

Provided that the upper age-limit up to the age of fifty years may be relaxed in the case of serving officers and employees of the Bureau;

(c) a written or on-line examination shall be conducted by the Bureau, departmentally or through a professional institution or agency, as may be approved by the Director General.

(d) the number of candidates to be called for skill test or practical test or trade test which shall be qualifying in nature, shall not be more than six times the number of vacancies advertised in the respective disciplines or trades in the order of merit from among those who have secured at least fifty per cent marks in the written or online test in the concerned discipline or trade and also secured at least fifty per cent marks in the aggregate.

B. Selection through Public Disclosure Scheme – In case of posts to be filled through Public Disclosure Scheme, the procedure shall be as follows:-

(a) candidates shall be selected discipline wise or trade wise on the basis of the final score secured in the latest examination conducted under the Public Disclosure Scheme subject to their qualifying the skill test conducted by the Bureau;

(b) the examination under the Public Disclosure Scheme through which recruitment is to be made shall be approved by the Director General:

Provided that the selection shall be made without any interview by the Bureau.

(c) where posts reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen or other special categories of persons cannot filled on the basis of the criteria specified therein, the candidates belonging to such category may be selected by giving relaxation as per the Government guidelines, to make-up the deficiency in the reserved quota, subject to suitability of such candidates for selection to the post concerned;

(2) a reserve list in addition to the select list of successful candidates shall be drawn up for filling up the vacancies which shall remain valid for a period of one year from the date when such list is drawn:

Provided that the number of candidates in reserve list shall not exceed the number of posts advertised.

(3) The candidates appointed by direct recruitment shall be on probation for a period of two years in accordance with the provisions of the Bureau of Indian Standards (Terms and Conditions of Service of Employees) Regulations, 2020, during which period, they may be required to undergo such training or may be given such responsibilities as may be deemed necessary by the appointing authority or may be required to pass departmental examination or examinations for successful completion of probation:

Provided that the module of the training, responsibilities to be given and the departmental examination to be passed for successful completion of probation shall be such as may be recommended by the appointing authority and approved by the Director General.

5. Promotion. – (1) Where any posts specified in column (2) of the First Schedule is required to be filled by promotion, the promotion shall be made on the recommendation of the Selection Committee constituted by the Director General from amongst the employees in the lower grade on the basis of merit or with due regard to seniority.

(2) The regular employees shall be entitled to the grant of financial up-gradation under the Modified Assured Career Progression Scheme as admissible to the employees of the Central Government.

(3) Non-functional Grade I and Grade II shall be granted to Laboratory Officers as specified in the First Schedule.

6. Deputation. – (1) Where any posts specified in column (2) of the First Schedule is required to be filled by deputation, such posts shall be advertised in at least two leading newspapers and also on the website of the Bureau and the administrative department of the Central Government having administrative control of the Bureau giving full information regarding number of posts, qualifications, experience, age-limit, special expertise, if any, as specified in the First Schedule and such other matters as may be necessary:

Provided that the maximum age limit for appointment on deputation basis shall not be exceeding fifty-six years on the closing date of the receipt of the applications:

Provided further that the period of deputation shall not ordinarily exceed three years and the maximum period of deputation shall be five years.

(2) The candidates who fulfill the prescribed requirements and shortlisted by the Screening Committee constituted under regulation 7 shall be recommended for selection.

7. Screening Committee for selection by direct recruitment or deputation. – (1) The Screening Committee shall consist of three officers of the Bureau not below the rank of Scientist 'C' to be nominated by the Director General and the senior-most amongst them shall be the Chairperson of the committee.

(2) The candidates shortlisted by the Screening Committee shall be considered by the Selection Committee for selection.

8. Selection Committee. - (1) The Selection Committee shall be constituted by the Director General as under:

(i) the Selection Committee shall consist of the following members, namely :-

(a) an officer not below the rank of Scientist 'F' or the Deputy Director General, who shall be the Chairperson;

(b) the Director or Head or Officer in-charge of the Department dealing with the personnel functions in the Bureau;

(c) two officers not below the rank of Scientist 'C' or the Deputy Director, of whom at least one shall be from the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe; and

(d) the Deputy Director or Assistant Director dealing with the personnel functions in the Bureau.

(2) The recommendations made by the Selection Committee referred to in sub-regulation (1) shall be submitted to the Director General for approval.

9. Appointing Authority. - (1) The appointments shall be made by the appointing authority on the recommendations of the Selection Committee:

Provided that the officiating appointments may be made by the appointing authority without recommendations of the Selection Committee subject to conditions specified for such appointments in the Schedule appended to the Bureau of Indian Standards (Powers and Duties of Director General) Regulations, 2018:

Provided further that the respective Selection Committees shall also function as the Screening Committee for the purpose of considering and recommending the cases for grant of financial up-gradation under the Modified Assured Career Progression Scheme specified in sub-regulation (2) of regulation 5 and the Non-Functional Grade I and Grade II, as specified in sub-regulation (3) thereof.

10. Categories of posts and sanctioned strength. - (1) The categories of posts and their sanctioned strength shall be such as may be determined by the Executive Committee from time to time, with the approval of the Central Government.

(2) The categories of posts and their sanctioned strength as on the date of the notification of these regulations shall be such as specified in the First Schedule and the disciplines or trades of the posts shall be as specified in the Second Schedule.

11. Power to relax. - Where the Bureau is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of persons with the approval of the Central Government.

12. Savings. - Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other special categories of persons as specified by the Central Government from time to time.

13. Interpretation. – If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be decided by the Bureau with the approval of the Central Government.

THE FIRST SCHEDULE

(*See* regulations 2, 3, 4, 5, 6 and 10)

Sl. No.	Name of the Post.	Number of Posts.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Maximum age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Method of recruitment.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, the grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Laboratory Officer.	60 (2026).	Level–7 (Rs.44900 -142400).	Selection.	Not applicable.	(i) Bachelor's Degree in Science with Chemistry or Microbiology or Physics or Bio-Technology or Food Technology or Bio-Chemistry or Electronics as one of the main subject or (ii) three years Diploma in Mechanical or Electrical or Civil or Chemical or Electronics or Food	By promotion failing which by deputation.	Not applicable.	Promotion: Technical Assistant (Laboratory) with five years' regular service in the grade. Deputation: (a) (i) officers holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or. (ii) officers with five

						Technology or Metallurgy and (iii) five years' regular service in the respective trade.			years' regular service in Level-6 (Rs.35400-112400); and (b) possessing qualifications prescribed for direct recruitment under column (7).
NOTE: **NOTE 1**: The number of posts to be filled up in any of the disciplines, as specified herein, shall be determined by the Executive Committee at the time of recruitment as per the requirement of the organisation. **NOTE 2**: Non-functional Grade-I in Level–8 in the Pay Matrix shall be granted to the Laboratory Officer with five years regular service in the Grade: Provided that the Laboratory Officers, who have already been granted Financial Up-gradation under the Modified Assured Career Progression SchemeinLevel-8, shall also be eligible for grant of Non-Functional Grade-II in Level-9 on completion of five years' service in Level-8. **NOTE 3**: Non-functional Grade-II in Level-9 in the Pay Matrix shall be granted to the Laboratory Officer with five years regular service in the Non-functional Grade-I.									
2.	Technical Assistant (Laboratory).	120 (2026).	Level-6 (Rs.35400–112400).	Not applicable.	30 years.	(i) Bachelor's Degree in Science (with Chemistry or Microbiology or Physics or Bio-Technology or Food Technology or Bio-Chemistry or Electronics as one of the main subject) or (ii) three years diploma in Mechanical or Electrical or Civil or Chemical or Electronics or Food Technology or Metallurgy Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the appointing authority in the case of candidates otherwise well qualified, in the case of candidates belonging to	(i) 90 percent. By direct recruitment; and ii) 10 percent. By limited departmental competitive examination.	Not applicable.	Through Limited Departmental Competitive Examination : (a) Senior Master Technician; or (b) Master Technician with six years regular service in Level–5 (Rs.29200-92300) in the Pay Matrix in the grade or Master Technician with six years combined regular service in the post of Master Technician and Senior Technician; or (c) Senior Technician with ten years

						the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite qualification are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. The appointing authority shall record the reasons for relaxing the qualifications in writing while doing so.			regular service in Level–4 (Rs.25500-81100) in the Pay Matrix in the grade. Essential: Educational Qualification as prescribed under column (7)
NOTE 1: The number of posts to be filled up in any of the disciplines, as specified herein, shall be determined by the Executive Committee at the time of recruitment as per the requirement of the organisation. **NOTE 2**: The procedure and module (pattern, syllabus, maximum marks, qualifying marks, etc.) of the Limited Departmental Competitive Examination for promotion to the post of Technical Assistant (Laboratory) shall be as recommended by the appointing authority and approved by the Executive Committee on the basis of organisational requirement from time to time.									
3.	Senior Master Technician.	12 (2026).	Level–6 (Rs.35400-112400)	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Master Technician with six years' regular service in the Grade.
4.	Master Technician.	16 (2026)	Level–5 (Rs.29200-92300)	Non-selection post.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	Not applicable.	Senior Technician with five years' regular service in the grade and who has passed the Trade Test.
5.	Senior Technician.	30 (2026)	Level–4 (Rs.25500-81100)	Not applicable.	Between 18 and 27 years	(i) Class X pass from a recognized Board or Institute; (ii) Industrial Training Institute Certificate in any of the following trades:	By promotion failing which by direct recruitment	Not applicable.	Technician with eight years' regular service in the grade.

						(a) Electrician; (b) Air-Conditioning; (c) Refrigeration; (d) Mechanic (Diesel – Engine); (e) Fitter; (f) Carpenter; (g) Plumber; (h) Wireman; (i) Turner; (j) Welder (the Welder should be also having passed the Welders' Qualifying Test as per the relevant Indian Standard or its equivalent); and (iii) two years' practical experience in the respective trade after having obtained the Industrial Training Institute Certificate or National Apprenticeship Certificate in the relevant trade. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the appointing authority in the case of candidates otherwise well qualified, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the appointing authority is of			

						the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite qualification are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. The appointing authority shall record the reasons for relaxing the qualifications in writing while doing so. Note 2 : The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the appointing authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			
6.	Technician.	1 (2026)	Level –2 (Rs.19900 - 63200).	Not applicable.	Between 18 and 27 years.	(i) Class X pass from a recognized Board or Institute;	By direct recruitment.	Not applicable.	Not applicable.

						(ii) Industrial Training Institute Certificate in any of the following trades: (a) Electrician; (b) Air-Conditioning; (c) Refrigeration; (d) Mechanic (Diesel – Engine); (e) Fitter; (f) Carpenter; (g) Plumber; (h) Wireman; (i) Turner; (j) Welder (the Welder should be also having passed the Welders' Qualifying Test as per the relevant Indian Standard or its equivalent); or (iii) National Apprenticeship Certificate in the relevant trade. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the appointing authority in the case of candidates otherwise well qualified, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the appointing authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite			

						qualification are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. The appointing authority shall record the reasons for relaxing the qualifications in writing while doing so.			
NOTE : The number of posts to be filled up in any of the trades as specified herein, shall be determined by the Director General at the time of recruitment as per the requirement of the organisation.									

THE SECOND SCHEDULE

(*See* regulations 2, 4, 10 and the First Schedule)

(1) List of Disciplines for the purpose of recruitment to the post of Technical Assistant (Laboratory) under these regulations:

I. Degree based disciplines:

(i) Chemistry

(ii) Physics

(iii) Micro-biology

(iv) Bio-technology

(v) Food technology

(vi) Bio-chemistry

(vii) Electronics

II. Diploma based disciplines:

(i) Mechanical

(ii) Chemical

(iii) Electrical

(iv) Civil

(v) Electronics

(vi) Food technology

(vii) Metallurgy

(2) List of Trades for the purpose of recruitment to the post of Senior Technician or Technician under these regulations:

(i) Electrician

(ii) Air-conditioning

(iii) Refrigeration

(iv) Mechanic (Diesel Engine)

(v) Fitter

(vi) Carpenter

(vii) Plumber

(viii) Wireman

(ix) Welder

(x) Turner

ALKA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./430/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA